



# महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय) भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

**Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan**

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 17-3/2019(प्र.वि.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 13-11-2020

## कार्यालय आदेश

विषय :- वेद एवं अन्य अध्यापकों द्वारा गुणवत्ता विकास हेतु उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखा गया है कि प्रतिष्ठान के वेद पाठशाला/गुरुशिष्य परम्परा इकाई के वेद अध्यापक संहिता के वेदाध्ययन के पश्चात् कई कारणों से वेद में उच्च शिक्षा जैसे- शास्त्री, आचार्य आदि ग्रहण करने से रुक जाते हैं। प्रतिष्ठान द्वारा गुणवत्ता की दृष्टि से नवीन पाठ्यक्रम तैयार किए जाने पर अध्यापक द्वारा यह कहा जाता है कि हमने संहिता तक ही अध्ययन किया है, आगे का अर्थात् निरुक्त, शिक्षा, प्रतिशाख्य आदि का अध्ययन नहीं किया है, हम ये नवीन पाठ्यक्रम छात्रों को नहीं पढ़ा सकते।

प्रतिष्ठान द्वारा समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें मूल पाठ नहीं पढ़ाया जाता है परन्तु विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी अवश्य प्रदान की जाती है। गुणवत्ता की दृष्टि से दिशा निर्देश भी दिया जाता है।

समस्त अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि वे सस्वर वेद की आवृत्ति के साथ-साथ ब्रह्मण, आरण्यक, उपनिषत्, वेद भाष्य, वेदाङ्ग- जैसे निरुक्त, शिक्षा आदि ग्रंथों का अपने स्तर पर परम्परा से अध्ययन जारी रखें तथा संपूर्ण वैदिक अध्ययन परंपरा की गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखें।

अन्य अध्यापक भी अपने अपने विषयों में स्नातक या स्नातकोत्तर उच्च शिक्षा ग्रहण कर ही इस व्यवस्था में प्रवेश लिए हैं, तथापि वे भी स्वान्तः सुखाय अपने स्तर पर संस्कृत के शास्त्रों, वेद, वेदाङ्ग, दर्शन, ध्यान-योग, संगणक, अन्य भाषाएं, गाइडेन्स एवं काउल्सिलिङ्ग आदि का शिक्षा ग्रहण करते रहे, जिससे गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रख सकेंगे। यह सूचना गुणवत्ता को निरन्तर बनाये रखने हेतु जारी है, इस का प्रोन्नति या मानदेय से संबन्ध नहीं है।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

प्रतिलिपि:-

प्रतिष्ठान की वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।